न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 53 / 2016
सीसीएमएस : 2016 / 00517

1. चावली पत्नी डूंगरराम जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.(मृतक)
   1/1. महेन्द्र कुमार पुत्र डूंगरमल जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/2. कमलेश पत्नी सतपाल जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/3. शुभम पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/4. जगतपाल पुत्र सतपाल जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/5. माया देवी पुत्र डूंगरमल पत्नी अशोक कुमार जाति बिश्नोई निवासी 7 के.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
   1/6. निर्मला पुत्री डूंगरमल पत्नी लाजपत जाति बिश्नोई निवासी 6 पी.एच.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

   समस्त जरिये मुखत्यार आम डूंगरमल पुत्र सही राम जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. रामस्वरूप पुत्र सही राम जाति बिश्नोई निवासी 18 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. निहालचन्द पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:अप्रार्थीगण

उपस्थिति :—

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई वकील प्रार्थीगण
2. श्री राजूराम ओझा, वकील अप्रार्थी सं. 2
3. राजपैरोकार

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :—

दिनांक : 29.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी सं. 1 चावली पत्नी डूंगर राम और प्रार्थी सं. 2 रामस्वरूप पुत्र सहीराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी [illegible] भूमि चक 6 एस.ए.डी के प.नं. 164/340 मु.नं. 3 कि.नं. 1/0.126है., कि[illegible]9/0.127है., कि.नं. 10–11–12 में 0.759है. कि.नं. 13 व 17 [illegible] ता 24 सालम कि.नं. 25 में 0.126है. कुल 3.163है. नहरी/[illegible] भूमि जाने हेतु रा[illegible] राज भूमि चक 18 एनपी प.नं. 164/340 मु.नं. 29 के [illegible] 0.025है. प्रत्येक में कुल 0.125है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। [illegible] भी निवेदन किया कि इस भूमि से चिपता हुआ काश्तकार उक्त रकबा को स्माल पेच में आवंटन करवाना चाहता हैं, जबकि प्रार्थीगण के पास आने जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण की सुविधा को मध्यनजर ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। दिनांक 17.04.2017 को अप्रार्थी सं. 2 निहालचन्द को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:13:59 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

के आधार पर पक्षकार अप्रार्थी संयोजित किया गया। प्रार्थी स 1 चावली देवी के देहान्त हो जाने पर प्रार्थी स 1/1 से 1/6 को पक्षकार प्रार्थी प्रतिस्थापित किया गया। अप्रार्थी स 1 की ओर से राजपैरोकार ने दिनांक 28.03.2017 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 18 एनपी मु.न 29 कि.न 5 6 15 16 25 कुल 0.125है मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2068 2071 खाता स 1 आराजीराज दर्ज है। चावली देवी द्वारा उक्त कि.न 5 6 15 16 25 रकबा राज में से रास्ता चाहा गया है। डी एलसी दर के दुगुने रेट से राशि जमा करवाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी स 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 का अधिनियम स 30 की धारा 251क उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण ने अपनी जोत चक 6 एसएडी के प.नं 164/340 मु.न 3 के 3.163है होना दर्शायी है जबकि इस जोत मे पहुचने के लिए मालसर से चक 18 एनपी जाने वाली पक्की सडक से उतर की तरफ इसी चक के मु.न. 14 के कि.न. 1,10,11,20,21 मु.न 9 व 6 के कि.न 1,10,11,20,21 फिर मु.नं. 2 के कि.नं. 21 से 25 तक रास्ता स्वीकृत है जो सडबजा व कच्चा रास्ता चल रहा हैं। मु.न. 2 का कि.नं. 25 मु.नं. 3 के कि.न. 21 तक रास्ता स्वीकृत है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता नही है। रास्ता चाहा गया है वह रकबा राज होना स्वीकार है परन्तु इस भूमि को रमाल पेच में आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि की तबादला की पत्रावली न्यायालय में जैरकार हैं क्योंकि प्रार्थी ने मु.नं. 34 के कि.न. 16,25 में खाला की भूमि दी हैं व चक 6 एमएसडी के मु.नं. 80 के कि.नं. 21 से 25 में नहर के लिए 10 बीस्वा भूमि दे रखी हैं जिसके बदले में उक्त भूमि आवंटन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र जैरकार हैं। यह भूमि गैर मुमकिन थी उतरदाता ने दौड धूप कर गैर मुमकिन को मुमकीन करवा कर आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इस जगह पर खाला कच्चा था जिसकी मिट्टी 10–15 फुट उंचाई की थी जिस पर उतरदाता ने दो लाख रूपया खर्च कर मिट्टी उठाकर काबिल काश्त बनाया हैं और मौके पर काश्त कर रहा हैं। प्रार्थीगण रंजिश व द्वेषता की वजह से मेरी जोत जो मु.नं. 29 कि.न. 5,6,15,16,25 में रास्ता चाहा हैं इस जगह पर मुनं. 30 व 32 को खाला जाता है जो कि.नं. 21 से 25 में चलता हैं। इस कि.नं. 25 में मु.नं. 29 को सिंचाई करने के लिए खाला व नाका हैं इस प्रकार खाला को नामा से खेत में जाने वाली आड को क्रास कर रास्ता स्वीकृत करना गलत हैं। 18 एनपी मु.नं. 30 कि.नं 1, 10,11,20,21 में स्वीकृत रास्ता 2–2 बीस्वा चल रहा हैं इस रास्ता से मु.नं. 32 के काश्तकार आ जा रहा हैं। तथाकथित रास्ता इस रास्ता के चिपता की मांग कर रहा हैं तो विधिक नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के दृष्टांत अनुसार जहां पर एक रास्ता आने के लिए विद्यमान हो तो दूसरा रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता हैं। प्रार्थीगण को पूर्व में रास्ता अपनी जोत में जाने के लिए हैं इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2019/578 दिनांक 21.06.2019 के अनुसार चक 6 एसएडी के प.नं. 164/340 मु.नं. 3 में 3.163है. भूमि रामस्वरूप पुत्र सहीराम व चावली पत्नी डूंगरराम कौम बिश्नोई सा. करड़वाली [illegible] मु.नं. 3 के कि.नं. 21 में पंहुचने हेतु चक 6 एसएडी के प.नं. 165/340 [illegible] नं. 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत हैं जो आंशिक चालू [illegible] कारण आंशिक अवरूद्ध हैं। रास्ते के उतर दिशा में [illegible] रहा हैं जिसक[illegible] अभिलेख में अंकन नहीं हैं, केवल रास्ते का अंकन हैं [illegible] 29 कि.नं. 5,6,15,16,25 प्रत्येक में 0.025है. कुल [illegible] में आराजीराज दर्ज हैं में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। मुताबिक आवेदन [illegible] चिपता हुआ काश्तकार उक्त करवा को रमालपेच में आवंटन करवाना चाहता हैं।

तहसीलदार रायसिंहनगर की उक्त पर चक 6 एसएडी के रास्ता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट चाही गयी। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2019/931 दिनांक 20.08.2019 के अनुसार चक 6 एसएडी के मु.नं. 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:13:59 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

कि.नं 21 ता 25 मे स्वीकृत रास्ते से मु.नं 3 के कि.नं 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोने मे ही प्रवेश सम्भव है। मु.नं 3 के कि.न 21 से 25 की दक्षिणी दिशा में पक्का खाला बना हुआ है। जो कि.न 21 मे घुमावदार होने के कारण कि.न 21 के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से मे प्रार्थीगण की अत्यल्प भूमि पड़ती है शेष सम्पूर्ण भूमि मे खाले से लगभग 10 फीट उंचाई तक मिट्टी का जमाव है व खाले पर पुली नही बनी हुई है। जिसके कारण वर्तमान स्थिति मे काश्तकार अपने मु.न 3 मे खाले से उत्तर दिशा मे खाद बीज उपकरण फसल आदि सुगमता से नही ले जा सकता है व आवागमन नही कर सकता है। उप पंजीयक मुकलावा से विवादित भूमि की डी.एल.सी. दर की सूचना मगवाई गयी। उप पंजीयक मुकलावा द्वारा पत्रांक प.सी0/2022/491 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा डी.एल.सी. दर की सूचना प्रेषित की गयी।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु कोई मार्ग नही है। इसलिए धारा 251ए आरटीए के तहत प्रार्थीगण को उनकी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण निवेदन किया कि उनके द्वारा आराजीराज भूमि मे से मार्ग की मांग की गयी है अप्रार्थी स. 2 उस भूमि के खातेदार अथवा गैरखातेदार नही होने के कारण उनका कोई हित प्रभावित नहीं होता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी स. 2 अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से स्वीकृतशुदा मार्ग लगता है। इसलिए वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता के होते हुए नवीन मार्ग प्रार्थीगण की सुविधा मात्र के लिए स्वीकार नही किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से रंजिशवश रास्ता की मांग की गयी है क्योकि अप्रार्थी की उक्त भूमि की रमाल पेच आवंटन की पत्रावली चल रही है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया। स्वय ने मौका का अवलोकन किया। मौका पर आराजीराज भूमि चक 18 एनपी प.नं. 164/340 मु.नं. 29 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में रास्ता चालू पाया गया। जिसके छोर पर खाला के उपर से प्रार्थीगण की भूमि प्रवेश हेतु रास्ता अवरूद्ध हैं। अप्रार्थी द्वारा मुख्य आपत्ति यह जताई गयी हैं कि प्रार्थीगण को पूर्व से ही उनकी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के अनुसार अप्रार्थी द्वारा जिस मार्ग की उपलब्धता का कथन किया गया हैं वह मिटटी के जमाव के कारण अवरूद्ध हैं, एवं मार्ग से आवगमन नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा आराजीराज भूमि में रास्ता की मांग की गयी हैं। राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र प.03(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार खातेदार को उसकी भूमि में आवागमन हेतु राजकीय भूमि में से डी.एल.सी दर की दो गुणा राशि प्रतिकर लिया जाकर रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

इस प्रकरण के संलग्न न्यायालय का एक अन्य प्रकरण सं. 40/2019 अन्तर्गत धारा 8(2) राज. उपनिवेशन अधिनियम के तहत निहालचन्द बनाम चावली आदि, जो कि न्यायालय आदेश दिनांक 05.11.2019 के द्वारा इन आदेशों के साथ इस पत्रावली के संलग्न किया गया हैं कि दोनों प्रकरणों की एक साथ सुनवाई की जावेगी। उक्त प्रकरण में निहालचन्द प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि चक 18 एनपी मु.नं. 29 के 12 बीघा में प्रवेश हेतु अप्रार्थीगण चावली एवं रामस्वरूप की भूमि चक 18 एनपी प.नं. 164/340 मु.नं. 3 के कि.नं. 21 में 120 फुट पश्चिम दिशा से पत्थर के साथ साथ व आगे कि.नं. 21 के 45 फुट में व 22,23,24,25 में पत्थर जा... 18 ... जगह खालों कि छोड़कर खाले के उतर दिशा में रास्ता मंजूर करने हेतु निवेदन किया हैं। यदि चक 18 एनपी प.नं. 164/340 मु.नं. 29 के कि.नं. 5–6–15–16–25 ... 0.025है. प्रत्येक में कुल 0.125है. गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता हैं तो प्रार्थी निहालचन्द को स्वतः ही रास्ता उपलब्ध हो जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

–: क्रियान्वयन आदेश :–

प्र.सं. 53/2016 चावली आदि बनाम सरकार आदि 251ए आरटीएक्ट

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर चक 18 एनपी प.नं. 164/340 मु.नं. 29 के कि.नं.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

5-6-15-16-25 में 0.025है. प्रत्येक में कुल 0.125है. गैर मुमकिन रास्ता रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि जमा करवाने की शर्त पर स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीगण द्वारा उक्त स्वीकृतशुदा मार्ग में आई भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि रू. 1,14,493 रूपये(उप पंजीयक मुकलावा से प्राप्त अनुसार) राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में गैर.मु. रास्ता का अमल दरामद करे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जाव।

प्र.सं. 40/2019 निहालचन्द बनाम चावली आदि 8(2) राज.उपनिवेशन अधि.

चूंकि प्रकरण सं. 53/2016 में निर्णय पारित किया जाकर चक 18 एनपी प.नं. 164/340 मु.नं. 29 के कि.नं. 5-6-15-16-25 में 0.025है. प्रत्येक में कुल 0.125है. गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जा चुका हैं। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत होने से निहालचन्द प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध हो गया हैं। अतः उक्त प्रकरण 40/2019 का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested